

24/2
21

खीलांत के अधिवक्ता उपस्थित रिश्चो. सं.
1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित रिश्चो.
सं. 3 से 7 की तलबी हेतु रजिस्ट्री
खर्च सहित नोटिस पेश करने हेतु
अधिवक्ता खीलांत को बार-बार
हिदायत के धाकजूद पत्रा मद्ये किये
हैं रिश्चो. की तलबी के समाव में
खीलांत की डीपीएल में इंग्रिम कार्रवाई
संभव मद्ये है, लिहाजा खीलांत की
अपील रिश्चो. की तलबी के समाव
में व "याथास्थान इन्डिया" की डीपीएल
में खासिय की जाती है मित 15/11/2024
सुमार होकर मद्ये के काम हो व इन्डिया
दफ्तर हो।

अपूर कलक्टर वाङ्गेश
(ए.डी.एम.)